

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

भारत

INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BD 048165

10.5 MAR 2022

:: शपथ-पत्र/बंध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप ::

मैं औरंगजेब पुत्र यारे खां जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी- ग्राम सतारवाली, कोलूतला तहसील व जिला- जैसलमेर का निवासी हूं। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि :-

1. मेरी संस्था का नाम स्वर्णधरा विकास संस्थान, हासुवाला (कोलूतला) एवं संस्था का पंजीयन संख्या 1735/2018 दिनांक 26-03-2018 यह हैं।
2. मेरी गौशाला/पशु शिविर के संचालन का स्थान ग्राम हासुवाला तहसील जैसलमेर जिला- जैसलमेर हैं।
3. मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा छोड़े गये 190 बड़े 10 छोटे कुल 200 पशु संधारित हैं।
4. मुझे ज्ञात हैं कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूं कि आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती हैं तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्वतः पालन करूंगा।

SIGNATURE/TH ATTESTED

SAWAI SINGH
NOTARY JAI SAI MEER

शपथग्रहिता :- स्वर्णधरा विकास संस्थान

तसदीक :- मैं औरंगजेब पुत्र यारे खां जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी- ग्राम सतारवाली, कोलूतला तहसील व जिला- जैसलमेर शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिया गया विवरण सत्य हैं।

दिनांक :-

SIGNATURE/TH ATTESTED

SAWAI SINGH
NOTARY JAI SAI MEER

शपथग्रहिता :- स्वर्णधरा विकास संस्थान

07.4.2022

पंजीयन क्रमांक 1735/18

दिनांक 26.03.2018

डिस्पेंच नं. 516

दिनांक 26.03.2018

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री स्वर्ण लक्ष विकास संस्थान, जैसलमेर
ग्राम हांसुवाला पोस्ट रामगढ़ (नैतसी)
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री बलोच रवां (सचिव) न्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री स्वर्ण लक्ष विकास संस्थान, जैसलमेर राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक 26.03.18 माह मार्च वर्ष दो हजार अठारह



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....३३...../जैसल/2008-2009..

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्वरी चारा विकास
संस्थान, जैसलमेर जिला जैसलमेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....२४.....माह.....जुलाई.....सन् दो हजार...९...को
जैसलमेर में दिया गया ।




(रमेश कुमार काफ़ना)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर